एक माननीय सदस्य : क्या इसका अल्प संख्यकों से कोई सम्बन्ध है ?

श्री जी० एम० बनात वाला : रूस की सरकार कहती है कि अफगानिस्तान में नई अफगान सरकार के अनुरोध पर वहाँ रूसी सेना भेजी गई थी परन्तु यह सच नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है 4-6 हजार रूसी सैनिक काबुल में अमीन सरकार के पतन से कम से कम तीन दिन पूर्व दिसम्बर 24 से भेज दिये गये थे। इसमें हमारे अपने राष्ट्रीय हित तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित निहित हैं। इस निर्लज्ज घटना की साफ-साफ शब्दों में भर्त्सना की जाए और रूस को वहाँ से अपनी सेना को हटाने के लिए भी कहा जाए। मैं असम की स्थिति के बारे में कुछ और शब्द कहना चाहता था। किन्तु इस विषय पर किसी दूसरे अवसर पर बोलने का प्रयास करूँगा।

अनेक आर्थिक प्रश्न भी हैं जिनको सदन में उठाये जाने का प्रयास किया गया है। बचत, विदेशी मुद्रा तथा खाद्यानों के अधिशेष थे, परन्तु तथ्य यह है कि देशी बाजार में वस्तुओं की कमी आती जा रही है। जब तक कि इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब सक हमारी अर्थव्यवस्था फिर से सक्रिय नहीं हो सकती है और न ही विभिन्न समस्याओं का समाधान होने वाला हैं।

इन शब्दों के साथ मैं नई सरकार के लिये सभी शुभ कामनाओं के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आशा करता हूं कि राष्ट्र के हित में सरकार को उन विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सफलता मिले जो आज वहाँ विद्यमान है। (धन्यवाद)

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय मैं अपना उत्तर देने से पूर्व क्या विपक्ष के उस माननीय सदस्य के प्रति मैं एक शब्द कह सकती हूँ जिसने गणतत्त्र दिवस परेड संबंधी एक प्रश्न उठया था ? मैं उन्हें केवल यह बताना चाहती हूँ कि परेड के कार्यक्रम मदो तथा विवरणों को हमारी सरकार के आने से बहुत पहले तय किया जा चुका था। हमने इसमें किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। बास्तव में उस परेड देखने के समय तक हमें यह मालूम नहीं था कि यह क्या था। किसी भी तरह से सरकार के सामने एन. सी.सी· का भाग नहीं आता है। परन्तु मैं उनसे सहमत हूँ कि ऐसे ब्यौरो की जांच की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि वह तथा सभी अन्य माननीय सदस्य परेड तथा स्ट्रीठ के शानदार प्रदर्शन के लिए रक्षा सेवाओं को बधाई देने में मुझे सहयोग देगें। हमारे सभी विदेशी अतिथि तथा अन्य लोग अत्यधिक प्रभावित हुये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बादविवाद के दौरान, विशेष रूप से विपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों के दौरान, उपस्थित रहने का प्रयत्न किया है परन्तु कुछ अपरिहार्य व्यस्तता के कारण मैंने उन सब को नहीं सुना है। इसके लिए मुझे खेद है परन्तु प्रति दिन मेरे सम्मुख प्रस्तुत की गयी पुरक मुख्य बातें मेरे पास उपलब्ध हैं।

यह कहते समय मेरा मतलब निरादर से नहीं है कि वाद-विवाद में कैसे भी विपक्ष की ओर से सहृदयता अथवा धारणा की कमीं रही है। दी गई, दलीलों में से अधिकांश दमदार नहीं है। आदरणीय सदस्य बहुत से अभी तक आपात की कहानी कह रहे हैं। भूतकाल के मानसिक अघात में अभी तक वे अपना मार्ग खोज रहे हैं। 1975 व 1977 अब इतिहास का विषय है। हमने 1980 के नये दशक में प्रवेश किया हैं। जो चुनौतिओं तथा बहुत बड़ी समस्याओं से भरा है।

हमारी आन्तरिक समस्यायें आर्थिक एवं सामाजिक हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्षता तथा हमारी सुरक्षा को भी खतरा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण उस समय लिखा गया था जब सरकार बने केवल 4 दिन ही हुये थे। इसलिए सदस्यों को ऐसी आशा रखना वास्तविकता से परे है कि उसमें हम यह बताते कि इन समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाएगा। उस समय राष्ट्र की सही स्थिति का पता लगा सकना वास्तव में असंभव था।

पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस शासन की जो उपलब्धियां हैं उनका उपहास केवल वास्तविकता की उपेक्षा करके ही किया जा सकता है। 1947 में हम उपनिवेशी शासन की दीर्घ अवधि के बाद स्वतन्त्रता को प्राप्त करके एक नवोदित देश के रूप में उभरे। हमे जो राजनैतिक ढाँचा मिला वह टूटा फूटा था और अर्थ व्यवस्था बहुत खराब थी देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न शताब्दियों की परिस्थितियाँ प्राप्त थी संभवतया माननीय सदस्य को, विशेष रूप से बंगाल के सदस्यों को, गुरुदेव टैगोर द्वारा लिखे गये अन्तिम लेखों में से एक बात याद होगी। उन्होंने कहा था, "मैं जानता हूँ कि अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। हमारे सामने प्रश्न यह है कि वे देश को किस हालत में छोड़ेगें।" और हम सब उस दशा से अवगत हैं।

हमने राजनैतिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ एक राष्ट्र का निर्माण करने में इन 30 वर्षों में कड़ी मेहनत की है। हमने अपनी विशालता एवं अनेकता के बावजूद भी मजबूत राजनैतिक एकता प्राप्त की है। हमने ऐसी लोकतंत्रात्मक परमम्पराएं बनाई हैं जो वर्षों तक चलते रहे राजनैतिक विवाद के बाद भी जीवित हैं। पराधीनता की स्थिति से छुटकारा पाकर हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हुये जिसकी आवाज विश्व की परिषदों में सम्मानपूर्वक सुनी जाती है। विरोधी दल गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हैं। मैं भविष्य पर अधिक गौर कहना पसंद करती हूँ परन्तु क्योंकि उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है। इसलिये मुझे उन मामलों को बताने के अतिरिक्त उन्होंने मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है जिनसे वे दूसरी ओर ध्यान नहीं जाने देते हैं। प्रथमत: मैं बहुत संक्षेप में उत्पीड़न के प्रश्न के बारे में बताना चाहूंगी। जनता पार्टी से चुनाव के बाद क्या किया था, जनता पार्टी में मैं जनता तथा लोक दल जो अब जनता (एस) है दोनों को शामील करती हूँ ? हमारे दल ने राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों तथा जनकल्याण की गतिविधियों में अपना सहयोग दिया था। वास्तव में मेरे विपक्ष के माननीय मित्र तथा भूतपूर्व सहयोगी मुझे क्षमा करेंगे, हमारे विवाद के कारणों मे से एक यह था जो हम महसूस करते हैं कि वह उस समय के सत्तारूढ़ दल को बुरी तरह से समर्थन दे रहे थे।

श्री यशवंत राव चव्हाण (सतारा) प्रश्न !

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : चव्हाण जी : यही मेरी राय थी इस लिये मैंने कहा हमारा मतभेद बना रहा परन्तु जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही ? विरोधी दल के रूप में मेरे दल को कार्य करने की अनुमति देने के स्थान पर मेरे, मेरे परिवार तथा सहयोगियों के विरूद्ध एक दमन चक्र चलाया गया। राजनैतिक आशय से प्रेरित कई आयोग बैठाये गये। कितने थे, मैं समझती हूँ···

माननीय सदस्य : हिसाब कौन रख रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आयोगों के अलावा अन्य जाँच प्राधिकरण भी थे। हमें गृह

मंत्रालय से मालूम हुआ कि 34 आयोग थे। उनके समक्ष गलत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जैसा कि मुझे अपने व्यक्तिव वातावरण से जानकारी है, इन आयोगों के समक्ष कार्यवाही के दौरान वही वातावरण था जो मध्यकालीन ब्रिटेन के जमाने में था जब अपराधी को सताया जाता था तथा अमेरीका में मकारथीज्म के समय में जब जनता की भावना को दबाया जाता था और सरकार द्वारा नियंत्रित प्रचार के साधनों के माध्यम से मिथ्या वर्णन, कुचक्र तथा डांट-डपट की प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। इन आयोगों के प्रमुख, न्यायाधीश तथा अन्य व्यक्ति प्रधान मंत्री तथा गृह मत्री से मिला करते थे। मेरे पुत्र के विरुद्ध दर्जनों मामले शुरू किये गये थे। मेरे निकट के अधिकारियों को सताया गया तथा डराया-धमकाया गया, तथा केवल उन्हीं को नहीं— वे तो दोषी थे ठीक है पर तु उनके रिश्तेदारों उनके बूढ़े माता-पिताओं, उनकी बहनों को सताया गया था जिनके वर्षो से उन सभी चलाये गये, पर मुकदमे उनके साथ निकट के संबंध नही थे। उनके मकानों की अंधाधुंध तलाशियां ली गई। बड़े पैमाने पर बैंक लाकरों को सील कराये गये, रिश्तेदारों के बैंक खातों पर पाबन्दी लगाई गई, पासपोर्टों को जब्त किया गया, रिश्तेदारों के आय कर के मामले उठाये गये तथा अधिकारियों की जाँच-पड़ताल विशेष अदालतों का विषय बन गयी थी। यहाँ तक भी पूछताछ होती थी कि माता-मिताओं से उस व्यय के बारे में बताने के लिये कहा जाता था जो 1947 से पहले किया गया था। मुझसे पूछा गया था कि 1950 में मैं ने कुछ विश्व-विद्यालयों से कुछ चैक कैसे प्राप्त किये। भूतपूर्व मंत्रियों अर्थात श्री गोखले प्रो० चट्टोपाध्याय, श्री बंसीलाल, श्री मालवीय, श्री पी. सी. सेठी तथा अन्य बड़े-बड़े व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया। मैं इसको बहुत संक्षेप से बता रही हूँ। यदि मैं विस्तार से बताऊं तो मैं आपको कुछ मर्मभेदी कहानियाँ पता लगेंगी। मार्च, 1977 से जनवरी, 1980 तक 10 सी.बी.आई. अधिकारी 8 सी.बी.आई, के मामलों की पड़ताल के संबंध में विदेशों में गये थे। वे, ब्रिटेन, स्वीजरलैंड (बेरने तथा जेनेवा) स्टाकहोम, फ्रंकफुर्ट, बोन, न्यूयार्क, वांशिगटन, पेरिस, सिंगापुर, बैंकाक, टोकियो तथा ओसाका गये। यह कहा जाता था कि इन दौरों का मुख्य उद्देश्य मेरे, मेरे परिवार तथा मेरे निकट के सहयोगियों के विरूद्ध साक्ष्य प्राप्त करना था। परन्तु आप सब लोग जानते हैं कि नतीजा क्या निकला था। मुझे इसमें कोई सदेह नहीं है कि उन्होंने मनोरजन के लिए यह सब किया। परन्तु इसके अतिरिक्त यह रवैया रहा कि राजदूतों को सरकार के सत्ता में आने के तुरन्त बाद कहा गया कि मेरे अथवा मेरे पिता जवाहरलाल नेहरू के चित्रों तथा लेखों को जला दें...

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं उस वक्तव्य को चुनौती देता हूँ। यह सच नहीं है। **(व्यवधान)**

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य की परेशानी समझ सकती हूँ। एक राजदूत ने स्वयं मुझे बताया कि उसे ये अनुदेश मिले थे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : किस से।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई) और यदि यह सच है तो आदेश को सभा पटल पर रखा जाए। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि मैंने ऐसे अनुदेश जारी किये थे तो मैं कोई भी दंड भुगतने को तैयार हूँ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत, कृपया अपनी सीटों पर बैठिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस राजदूत का नाम बतायें ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे नाम बताने में कोई संकोच नहीं है, मैं उसका नाम श्री वाजपेयी को बता दूंगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केवल मुझे ही क्यों ? सदन को क्यों नहीं जबकि आप सार्वजनिक आरोप लगा रही हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय कृपया शान्त रहिये ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : इसकी भी एक सीमा होती है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जो आपने किया है उसकी भी सीमा है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रधान मंत्री को इसे कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

यदि यह सत्य है तो सभा पटल पर आदेश रखा जाये । **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मुझे यह पता नहीं है कि आदेश किसने दिया था । मुझे जो कुछ बताया गया था मैं तो उसकी केवल पुनरावृत्ति कर रही हूँ । मेरी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि उन आदेशों को किसने जारी किया था । मुझे यह एक राजदूत ने बताया था तथा उसका अविश्वास करने के लिए मेरे पास कोई कारण नही है । मैं भी इस सूचना की भागीदार बन सकती हूँ । वह काँग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : तो क्या हुआ ?

श्रीमती इन्द्रा गांधी : उसने यह जवाब दिया गया था कि यदि उसे उनको रखने की अनुमति नहीं दीं गई तो वह उनको जलायेगा नहीं । उसने कहा था कि वह उनको एक अलमारी में बद कर देगा तथा उनको अलमारी में ताला लगा कर रखेगा ।

श्री रवींद्र वर्मा : अलमारी में बंद करना उन्हें और खराब करना होगा ।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : यह केवल विदेशी मामलों में ही नहीं हुआ था । तस्वीरों को फाड़ा गया तथा उन्हें रोंदा गया । एक वायु सेना अधिकारी ने मुझे बताया कि उसके पास पहले मेरी, मेरे पिताजी तथा उसकी अपनी तस्वीरें थी । उसे यह बताया गया था कि कोई व्यक्ति उनको हटाने के लिए कार्यालय में आया लेकिन उसकी पदवी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं हैं । उसने बताया कि यह पूर्णरूपेण निजी मामला है । मैं इसे एक राजनीतिक मामला नहीं बना रही हूँ, यह एक निजी मामला है । इसके बाद ही उसका जल्दी ही तबादिला कर दिया गया । मुझे यह मालूम नहीं है कि तबादिले का इससे कोई सम्बन्ध था या नहीं । लेकिन उसके मन में यह धारणा थी कि इसका उससे सम्बन्ध था । इस प्रकार का यह एक ही मामला नहीं है । इस प्रकार के हजारों मामले हैं, केवल एक ही नहीं । हर सम्भव तरीके से मेरा अपमान करने की हर प्रकार की कोशिश की गई । विदेशी राजदूतों ने मुझे बताया है । श्री बाजपेयी जी मैं उनके नामों के बारे में नहीं बताऊंगी । केवल यही उचित है कि सदन को इस बात की जानकारी रहे । उनकी उनके देशों में अच्छी स्थिति हैं तथा वे वहाँ सम्माननीय व्यक्ति है ।

उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें मुझसे मिलने के लिये फंसाया गया था । उनमें से जो भी

मुझसे मिलने के लिये आये वह टैक्सियों में या पैदल ही आये। इस प्रकार ऐसा वातावरण तैयार किया गया था। कोई व्यक्ति जो मुझसे मिलना चाहें उसका सरकार से कोई काम था या नहीं। चाहे वे किसी विश्वविद्यालय या किसी विभाग के थे जिनको परोक्ष रूप से सरकारी सहायता दी गयी थी उन्हें लाभ पहुंचाया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : लाभ पहुंचाने से क्या तात्पर्य है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : उनको बुलाकर यह पूछा गया था कि उन्हें इस सरकारी सहायता की बराबर आवश्यकता है या नहीं।

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : आप आपातकालीन परिस्थितियों का वर्णन कर रहीं हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी) : आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी ठीक वही कह रही हूँ। ऐसा उन्हीं व्यक्तियों ने किया जिनका मुख्य नारा यह था कि वे प्रजातंत्र तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। हम आपातकालीन स्थिति को किसी पिछले दरवाजे से नहीं लाये। हमने आपातकालीन स्थिति सब को बताकर लगाई। हमने किसी व्यक्ति को धोखे से गिरफ्तार नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा हैं। जैसा कि मैंने कहा है यदि कोई गई गलत बात हुई थी। **(व्यवधान)**

कृपया शान्त रहें क्योंकि मुझे ज्यादा समय लगेगा। यदि आप बैठना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे काफी समय लगेगा। मुझे बहुत कुछ कहना है। आप शान्तिपूर्वक सुनें तो यह जल्दी से खत्म हो जायेगा। आपके चिल्लाने के कारण मैं अपनी बात को छोटा नहीं करूंगा। आपके चिल्लाने के कारण मैं नहीं बैठूँगी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए।

(व्यवधान)।

मैंने सुना है कि मेरे अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करने की फिल्म को सूचना मंत्रालय ने नष्ट कर दिया था। जहाँ तक मुझे पता हैं तत्कालीन मंत्री ने यह मान लिया था कि उक्त फिल्में खो गईं थीं। जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने दंगों तथा अन्य विविध प्रकार की घटनाओं के बारे में कहा है उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रशासन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ था तथा इससे इस बात की भी झलक मिलती है कि शिक्षा प्रशासन पुलिस तथा अन्य विविध क्षेत्रों में उन्होंने विविध अनुकूल परिस्थितियों में घुसपैठ की थी। क्या चुनाव जीतने के बाद तत्काल मुझे संसद से निकाला जाना भी चिकमगलूर की जनता या लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वयं अपमान नहीं था ? क्या ऐसा बहुमत के कारण नहीं किया गया था।

हमने कहा है कि हम प्रतिशोधी नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन तथ्य अवश्य बाहर आने चाहिए।

पूर्व इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया गया। लेकिन वर्तमान इतिहास की चर्चा करने का कोई प्रयास नहीं किया।

हम जनसंघ के माननीय सदस्यों को जानते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमारा जनसंघ से कोई वास्ता नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे याद है कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी के दल के कुछ महानुभाव कुछ वर्षों तक यह सिद्ध करने का प्रयास करने में लगे रहे कि ताजमहल एक हिन्दू मंदिर यह एक चरम सीमा की बात है। लेकिन इनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो भारतीय परम्परा की रक्षा करने में उतनी ही घातक हैं। वह परम्परा संश्लेषण तथा महान सहन शक्ति को प्राप्त करने की है। इस परम्परा में न तो झूठ में ही विश्वास किया जाता है और न ऐसी बातों को ही हटाया जाता है जो भारतीय तसवीर के अनुरूप न होने के कारण नहीं होती। या उनका क्या करने का इरादा है।

अब देश की राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों के प्रबंध में जनता सरकार की दिन प्रति दिन गैर जिम्मेदारी, जनता सरकार की मूलभूत विकास की लापरवाही के अनुरूप है।

सदस्यों ने कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के तेजी से बिगड़ने तथा बिशेष तौर से निर्बल वर्गों में असुरक्षा की भावना के बारे में कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महिलाओं के बारे में भी कहा गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विशेष तौर से महिलाओं के बारे में मैंने बाहर अपने भाषणों में यह सब कुछ कहा है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि ऐसी स्थिति अब भी चल रही है। निःसंदेह ऐसा अब भी हो रहा है। क्या हम इसमें एक दम परिवर्तन कर सकते हैं मेरा ऐसा विचार है कि इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है।

पिछले तीन वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों में साम्प्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी होने के कारण अल्प संख्यकों को परेशानी हुई। वर्ष 1975 में 962 व्यक्ति घायल हुए तथा 33 व्यक्ति मारे गये। वर्ष 1976 में 794 व्यक्ति घायल हुए तथा 39 की मृत्य हुई। 1977 के प्रारम्भ में घायलों की संख्या 1119 तक पहुँच गई 1978 में घायलों की संख्या 1853 थी। 1979 में छः महीनों में घायल हुए व्यक्यिों की संख्या 2,346 थी। तथा इस अवधि में 260 व्यक्तियों की मृत्य हुई।

जातयिता तथा जातिगत भावना सदियों से भारतीय समाज की विशेषता रही है। स्वातंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भ में हमारा विचार था कि इस प्रकार की आक्रामक जातिगत भावना कम होगी लेकिन प्रजातंत्र की शुरूआत के प्रारम्भ में हमने यह महसूस किया कि इस भावना को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि मनुष्यों को जातिगत सहायता प्राप्त करने में विश्वास था फिर भी उन्हें यह आभास हुआ कि अन्य जातियाँ एक हो जाएं तो यह जातिगत सहायता पर्याप्त नहीं है फिर हमें इस विचार धारा में कमी अनुभव होने लगी। लेकिन जनता पार्टी तथा लोक दल के राज्यों में इस भावना का हमें केवल अपने राजनैतिक तथा सार्वजनिक जीवन में अनुभव किया लेकिन हमें जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता का आभास अपने उच्च अध्ययन की संस्थाओं में भी हुआ। हमारी सिविल सेवायें तथा प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को भी बिगाड़ा गया। यहाँ तक की लोक सभा चुनावों में भी जनता को धोखे में रख कर जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता के अधार पर चुनाव जीतने के प्रयत्न किए गए। मेरे विचार से इस चुनाव से यह सिद्ध हो गया है कि हमारी जनता का दृष्टिकोण सीमित नहीं है बल्कि उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है लेकिन हमारे विरोधी दलों के सदस्य सीमित दृष्टिकोण को ही चाहते हैं।

वर्ष 1975 तथा 1979 की अवधि में अनुसूचित जातियों के साथ अपराध वर्ष 1975 में 7781 मामलों की सूचना मिली मैं बीच के समय को छोड़ रही हूँ। वर्ष 1978 में अपराधों की संख्या 15059 थी। वर्ष 1979 में सितम्बर तक अपराधों की संख्या 10,492 थी। दिल्ली में वर्ष 1976 में अपराधों की संख्या 23,105 थी जो वर्ष 1979 के पहले छः महीनों में 21,307 हो गई। इस प्रकार फिर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई। कभी-कभी आँकड़े नीरस होते हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति कुछ आंकड़े बताते हैं। मैं सोचती हूं कि आँकड़े देकर मैं भी आपको नीरस कर रही हूँ माननीय सदस्य चौधरी चरण सिंह ने खाद्य उत्पादन के बारे में कुछ कहा था। वर्ष 1950-51 में उत्पादन 52-58 मिलियन टन था। सन् 1973-74 में उत्पादन 104-67 मिलियन टन तथा 1975-76 में उत्पादन 121-3 मिलियन टन हुआ। हमने खाद्यान्न का अवश्य ही आयात किया था इसका कारणयह था हमारा यह दृढ़ निश्चय था कि हमारी जनता भूखी नहीं मरे।

प्रो० मधुदंडवते : जनता के शासन काल में उत्पादन 126·5 मिलीयन टन हो गया था।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : उत्पादन बढ़ा है हम उसे घटा नहीं रहे हैं। लेकिन आपके समय में अन्य समयों की अपेक्षा अच्छी वर्षा हुई। हमारे समय भयंकर सूखा पड़ा आपके समय में दो वर्षों में अच्छी वर्षा हुई। इस वर्ष का क्या नतीजा रहा। इस वर्ष सूखा ग्रस्त क्षेत्र में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है जबकि हमसे खाद्यानों का भन्डार छोड़ा था। उस समय हमें बताया गया था कि वह खाद्यान्न सूखा के दो वर्षों के लिए पर्याप्त था। तथा देश में खाद्यानों की कोई परेशानी नहीं होगी।

वर्ष 1951 में हमने 226 मिलियन हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए सिचाई के साधनों का इस्तेमाल करने की शुरूआत की। वर्ष 1977-78 तक इसमें 26 मिलियन हैक्टर की वृद्धि हुई। हमें इसके बीच के समय के आँकड़े नहीं मिले हैं। वर्ष 1973-74 के आँकड़े 42 मिलियन हैक्टर थे। जनता के शासन काल में इनमें वृद्धि हुई। लेकिन इस बारे में मेरा विचार है कि यह वृद्धि वर्ष 1977 से पहले के वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं पर निवेश के कारण हुई माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे। क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि कितनी नयी सिंचाई परियोजनायें शुरू की गई तथा उनसे तत्काल कितना लाभ हुआ यदि आपने उन्हें सन् 1977 में शुरू किया है। कम से कम एक पुल जिसे हमने बनाया था लेकिन उसे जनता सरकार ने अपनी उपलब्धियों की सूची में शामिल कर लिया था क्योंकि इसका कांग्रेस के शासनकाल में औपचारिक रूप से उद्घाठन नहीं किया गया था।

देश में औद्योगिक शक्ति के साधन कोयला इस्पात तथा तेल के क्षेत्र में विकास करने तथा परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी और औद्योगिकी के विकास के कारण औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई वर्ष 1951 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 100 था वर्ष 1977 में यह बढ़कर 389.2 हो गया। इसी प्रकार कोयले का उत्पादन भी मिलियन टनों में हो गया। वर्ष 1973-74 में यह उत्पादन 81·8 1976-77 में 100.8 1979 में नवम्बर तक यह लगभग 165 मिलीयन टन था। 1973-74 में बेचने योग्य इस्पात का उत्पादन 4.47 मिलीयन टन 1976-77 में 7·41 मि. टन तथा इसके वर्ष 1977-78 के अस्थाई आँकड़े 5.08 मि. टन थे।

रेलवे : 1973-74 में उत्पादन 162 मि० टन था। आरम्भ में यह शुद्ध टन किलो मीटर 109,391 था।

वर्ष 1976-77 में यह 162 से बढ़कर 212 हो गया 1977-78 में यह घटकर 210 हो गया तथा 1978-79 में यह घटकर 199 हो गया 1978 के पहले आठ महीनों में 190 लाख जन दिवसों की हानि हुई तथा 1979 की इसी अवधि में लगभग 300 लाख जन दिवसों की औद्योगिक झगड़ों के कारण हानि हुई।

चौधरी साहब ने यह वक्तव्य दिया था कि 1966 से भारत उत्पादन के मामले में अन्य देशों की सूची में नीचे आ रहा है। मुझे बताया गया है कि यह इसलिए हुआ है कि देशों की संख्या बढ़ी है और यदि आप इसे इस दृष्टि कोण से देखें तो 1976 में इसमें 1973 के मुकाबले काफी सुधार हुआ।

निर्यात व्यापार : वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक निर्यात व्यपार की वार्षिक वृद्धि दर 26 8 करोड़ रुपये थी। तथा 1977-78 से 197980 में यह 6.2 करोड़ रुपए की थी।

जनता सरकार ने हमारे आयात बिलों में वृद्धि की है। 1973-74 में आयात 2,955·4 करोड़ रुपये का था तथा 1977-78 में यह 6.025 करोड़ रुपए का था। यह इस्पात; सीमेंट, कोयला तथा अल्यूमिनियम जैसी वस्तुओं की इनकी वर्तमान क्षमता के अकुशल इस्तेमाल के कारण घरेलू उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए आँशिक रूप से किया गया।

इसीलिए हमारे व्यपार का प्रतिकूल अन्तर तेजी से बढ़ रहा है तथा हम आज पेट्रोलियम तथा अन्य कीमती वस्तुओं के जिनको हमें आज बाहर के देशों से आयात करने की बहुत आकश्यकता है भुगतान करने में पूर्णतया समर्थ नहीं है .

यह सच नहीं है कि खाद्यान्य का भारी भन्डार विदेशों से खाद्यान्य का आयात करके बनाया गया था हमने जरूरत होने पर ही खाद्यान्य का आयात किया। लेकिन खाद्यान्य के मामले में आत्म निर्भर होने के लिए भंडार बनाया था तथा जनता सरकार भी शक्ति में आने के तुरन्त बाद निर्यात करने की स्थिति में थी।

मार्च 1977 में राष्ट्रीय खाद्य भंडार 180 लाख टन का था तथा ऐसी भारी मात्रा में देश खाद्यान्न की वसूली के परिणाम पर पहुँचा। इसके लिए सरकार ने ही उस समय भारतीय कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए कदम उठाए।

वर्ष 1966-67 से वर्ष 1977 तक जब मेरी सरकार सत्ता में नहीं रही स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 27,298 करोड़ रुपए से बढ़कर 40,534 करोड़ रुपए हो गई। जिससे 4.03 प्रतिशत को वार्षिक चक्रवृद्धि दर प्राप्त हुई। 1978-79 में वृद्धि दर 4.06 प्रतिशत थी जो 10 वर्षों की वृद्धि दर के बराबर थी। एक अच्छे मानसून के वर्ष में 4·6 प्रतिशत की अपेक्षा 10 वर्षों में 4.03 प्रतिशत की एक दीर्घ कालीन वृद्धि दर की कृषि उत्पादन में घटा बढ़ी होने के कारण प्राप्त करना ज्यादा कठिन होता है।

वर्ष 1974-75 में 356.61 करोड़ रुपये की कीमत का इंजीनियरिंग सामान का निर्यात किया गया जो 1976-77 में बढ़कर 566 करोड़ रुपये का हो गया। अनेक सदस्यो ने वर्ष की समस्यों पर खेद व्यक्त किया है। सदन को मालूम है कि हम इस सम्बन्ध में कितने अधिक चिंतित हैं। चौधरी साहब अपने चुनाव भाषणों में यह बड़ी खुशी से कहते रहे हैं कि मुझे गाय तथा भैंस के भेद की जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य इस प्रकार के गम्भीर आरोपों

के बारे में निर्णय कर सकते हैं। जब मैं प्रधान मंत्री थी मुझे पशु धन तथा गया या भैंस प्रदर्शनियों का न्यायाधीश होने के लिये बुलाया गया था लेकिन उस समय मुझे एक ही चिन्ता होती थी। कि हमारे कृषकों को लाभकारी कीमत मिल रही है या नहीं। उनकी केवल एक ही शिकायत होती थी कि कृषि मूल्य आयोग को के विशेषज्ञों को खेत की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तथा हमारी सरकार भी उन्हीं की बात को हमेशा मानती है। हमने इसकी बड़े विस्तार से जाँच की है और हमने माननीय सदस्यों के साथ बहुत बार चर्चा की है और इन सबके बाद हमने किसानों के साथ अच्छा बर्ताव करने का प्रयास किया। परन्तु जिस मूल्य पर भी सहमति हुई थी उसी मूल्य को हमने समर्थन मूल्य मान लिया था। परन्तु पिछले दो वर्षों से क्या हुआ ? कृषकों को गन्ने अथवा अन्य फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। जब मैं पंजाब के फरीद कोट के चुनाव क्षेत्र में गई तो मैं माननीय सदस्य से नहीं मिल सकी। क्योंकि सफेद नर्मा कपास के ढेर को देख कर मैंने सोचा कि बर्फ पड़ी हुई है। इसे कोई खरीद नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पूर्व और अभियान के दौरान किसानों ने मुझे यह बताया था कि सरकार द्वारा घोषित मूल्य उहें प्राप्त नहीं हो सका—मैंने यह सरकारी स्रोतों से मालूम नहीं किया है। जब बहुत से किसानों को मजबूर होकर कृषि उत्पादन को बहुत कम मूल्य पर बेचना पड़ा उस समय सरकार इस क्षेत्र में आगे आई तथा उससे अधिक कीमत की घोषणा की। इसका क्या परिणाम निकला ? वे किसान इस कीमत को प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने अपने सामान को पहले ही बेच दिया था। इसलिए वह पैसा चला गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ऐसा पिछले अनेक वर्षों से होता रहा है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : किसानों ने मुझे बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यदि ऐसा पहले हुआ था तो वे मुझे विशेष तौर से बताने के लिए क्यों आये ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : प्रति वर्ष उन्हें परेशानी हो रही है तो उन्हें आपको क्यों नहीं बताना चाहिये था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी . बहुत से मामलों में लोगों ने यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं की है। कहा हैं : यह हमारी समस्या है यह बहुत पुरानी समस्या है कृपया इसे देखिये" लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा तथा इस प्रकार की गन्ने के मामले में घटना घटने के कारण किसान आज गन्ना उगाने के लिये राजी नहीं है तथा आगे के मौसम में चीनी की कमी होने का भारी खतरा है। इस प्रकार की बात पहले कभी नहीं हुई। किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा कर रहे थे क्योंकि उनको प्रत्यक्ष रूप से उसकी उचित कीमत मिल रही थी। जब आपको इसकी लाभकारी कीमत नहीं मिलती है तो आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि "इस फसल से लाभ नहीं हो रहा है। मैं इसे क्यों उगाऊँ ?"

श्री गुप्त, मैं यही बात तो कह रही हूँ।

मैं जो आपको यह बतलाना चाहती हूँ कि यदि पिछले वर्षों में इसी स्तर पर ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान होतीं तो उन किसानों को उस समय भी यही फसल लगाने के लिए निरुत्साहित किया जाना चाहिए था। परन्तु उन्हें निरुत्साहित नहीं किया गया अपितु उन्होंने अधिक गल्ला उगाया, सभी कुछ अधिक पैदा किया। अब वे पहली बार यह कह रहे हैं कि चूंकि ये लाभप्रद फसल नहीं हैं, वे गन्ने की खेती नहीं करेंगे। यह एक तथ्य है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यही स्थिति पटसन, तम्बाकू तथा कपास के बारे में है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं।

श्री समर मुखर्जी : चूंकि आपने उस स्थान की यात्रा की थी, उन लोगों ने इस समस्या को सामने रखा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे लोग यहाँ भी मुझसे मिलने आये थे। मैं यह कह सकती हूँ कि हमें इस समस्या के कारणों का अवश्य ही पता लगाना चाहिये। हम नहीं चाहते कि कितनों को कुछ नुकसान उठाना पड़े। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि हमें भविष्य में दीर्घकालीन नीतियों की योजनायें तैयार करनी चाहियें। हम सिर्फ आवश्यक समस्याओं को निपटाते हुये इनके बारे में कुछ तदर्थ तरीका अपनाने की चेष्टा करते हैं। यदि मेरे से कहीं कुछ गलती होती है तो मुझे उसको स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। किन्हीं कारणों से हम स्वयं को सदा अन्तिम समय में ही निर्णय लेने की स्थिति में पाते थे जिसके कारण कुछ समस्यायें उत्पन्न होती थी। अब हमें दीर्घकालीन योजनायें बनाने के प्रयास करने चाहिएँ। मेरे साथी कृषि मंत्री, ने सूखे से पीड़ित क्षेत्रों के अपने लोगों के कष्टों को कम करने के लिए, हमारे द्वारा उठाये जाने वाले उपायों की चर्चा पहले ही कर दी है। मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि हमें सूखे की स्थिति की पूरी जानकारी रखने के प्रयास करने चाहिएँ तथा काम के बदले अनाज देने के कार्यक्रमों के सही कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से रुचि लेनी चाहिए। पशुओं की सुरक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। यह वास्तव में एक गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा यह अन्य बहुत सी उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मूल कारण भी है चाहे वे कानून तथा व्यवस्था की समस्या हो, अथवा हमारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अत्यन्त गंभीर स्थिति हो। हम अल्पकालिक उपाय तो अवश्य ही कर सकते हैं परन्तु मूलतः रोजगार के अवसर आर्थिक समस्याओं के हल करने के बाद ही उत्पन्न किये जा सकते हैं और केवल तारीखें निर्धारित करने मात्र से ऐसा नहीं हो पायेगा। इस पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने अनवरत योजना तथा समस्त प्रणाली के बारे में कहा है...

श्री समर मुखर्जी : बेरोजगारी भत्ते के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : इन सब बातों पर बाद में विचार किया जाएगा। अभी मैं ठोस रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि हमें यह मालूम करना हैं कि इसमें क्या चीज शामिल है। मेरे इस कथन का कुछ भी फायदा नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ कर दूंगी तथा मुझे बाद में पता चले कि मैं यह नहीं कर सकती।

भारतवर्ष में जनसंख्या इतनी अधिक है कि बहुत से कार्यक्रम, जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, हमारी सीमा से बाहर हैं, विशेषकर इस समय जबकि हमारी अर्थ व्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में है। लेकिन हम इस समस्या पर निश्चित रूप से गहराई में विचार करेंगे तथा इस पर अविलम्बनीय ध्यान देंगे। हमने योजना को सदैव ही आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना है। जनता तथा लोकदल शासन की पूरी अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा भी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका, राज्यों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श

की बात तो छोड़ ही दीजिए। मुझे इस पर हैरानी है जब कोई भारतीय कृषि तथा उद्योग में हुई उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। जैसा कि मैंने अपने भाषणों में कहा है, इन सबका श्रेय मुझे नहीं, बल्कि भारतीय जनता को जाता है जिसने अपने परिश्रम और बलिदान से यह प्रगति प्राप्त की है। किशान ने अपने उत्पादन को बढ़ाया है, औद्योगिक मजदूर ने भी अपने कार्य के द्वारा इसमें योगदान दिया है। मैं इनके योगदान को कम नहीं आँकती क्योंकि वही मुख्य बात है। परन्तु वे यह कर पाने में शक्य कैसे हो सके ? इसका कारण यह था कि हमने उन्हें एक निश्चित दिशा-निर्देश तथा एक नीति प्रदान की थी। हमारे युवा वैज्ञानिकों तथा शिल्प-वैज्ञानिकों के साथ भी यही बात है। आज भारत में इजीनियरी क्षेत्र में दक्षता वाले इतने व्यक्ति हैं कि विश्व में भारत का स्थान तीसरा है और हमारी सफलता को उचित परिप्रेक्ष्य में आंकने के लिए हमें अपने चारों ओर देखना होगा तथा अपनी राजनैतिक और आर्थिक स्थिति की तुलना उन देशों से करनी होगी जिन्हें विश्व युद्ध के बाद स्वतन्त्रता मिली है। जो कोई भी हमारी उपलब्धियों का अवमूल्यन करता है, कि इससे उसके मत में राष्ट्रीय गौरव और हमारी जनता के प्रति विश्वास की पूर्ण कमी ही परिलक्षित होती है।

मैंने सूखे-सम्बन्धी सहायता का जिक्र किया है। आज भी, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े दल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के संसद सदस्यों के साथ जो कि सूखा से पीड़ित रहे हैं, मुझ से मिलने पर यह शिकायत की है कि राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया है और कृषि मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है। उन्होंने बार-बार इस बात की शिकायत की है कि अनेक आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध नहीं हैं और यह कि किसानों के ऐसी विपदा में ग्रस्त होने पर भी उनसे कर्जों की वसूली की जा रही है।

ऐसे दो मामले हैं जिनका सूखे से संबन्ध नहीं है परन्तु मैं यहाँ उनका उल्लेख अवश्य करना चाहूँगी क्योंकि मध्य प्रदेश से आये हुए बड़े दल द्वारा मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था, राजस्थान के संसद सदस्यों ने तथा कल मेरे माननीय मित्र तथा साथी श्री कमलापति त्रिपाठी ने भी मुझे बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है अर्थात् इन राज्य सरकारों ने नसबन्दी तथा मकानों को गिराने का कार्यक्रम बहुत जोरदार तरीके से शुरू कर दिया है तथा वे यह प्रचार कर रहे हैं कि "हमने तुमको बताया कि जब इंदिरा गांधी सरकार वापस आएगी, नसबन्दी दुबारा शुरू की जाएगी। ये आदेश हमें केन्द्र से प्राप्त हुये हैं।"

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उन्होंने राहत कार्य भी बद कर दिये हैं। कहते हैं कि जाओ इंदिरा मां के पास।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मैं सदन को बताना चाहूँगी कि केन्द्र से ऐसा कोई भी आदेश नहीं भेजा गया है। उनका झूठ को फैलाने का तरीका पहले बहुत विचित्र था अब भी वे उसी पर अमल कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र ने राहत कार्य बन्द करने का प्रश्न उठाया है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के दौरान—मुझे यह ध्यान नहीं है कि वह वर्ष 1977 था या 1978 जब मैंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, हमने पाया कि उन क्षेत्रों में, जिन्होंने हमारे सदस्यों को नगर निगम तथा महानगर परिषद के लिए चुना था। वहाँ उनको राशन नहीं बाँटा जा रहा था। हमारे बहुत

प्रयासों के बाद ही वहाँ राशन बंटना शुरू हुआ . मैं उन सभी बातों की चर्चा नहीं कर रही हूं । इनसे उनके व्यवहार का पता चलता है ।

मैं उन सभी सदस्यों के नाम का उल्लेख नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं । परन्तु पूरे वाद-विवाद में संयमता का परिचय देने के लिए मैं श्री जगजीवन राम की प्रशंसा करना चाहूँगी । उन्होंने गरीबी मिटाने तथा आर्थिक समस्याओं को निपटाने के लिए व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन का जिक्र किया । भारत में पाये जाने वाले लोकतंत्र के अनुरूप वे कौन से मौलिक कदम उठाने के पक्ष में थे, उसके बारे में उनको बताना चाहिए था ।

मार्क्सवादी पार्टी के अन्य मित्र ने व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देते हुये चीन का उदाहरण दिया था । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले आश्चर्य जनक परिवर्तनों को देखना रुचिकर होता है । जब वियतनाम में लड़ाई चल रही थी तथा हम वियतनाम का समर्थन कर रहे थे तब संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य पश्चिमी अधिकारियों द्वारा हमें लगातार यह बतलाया जा रहा था कि वे वियतनाम में सिर्फ हमको चीन से बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं और चूंकि भारत को बड़ा खतरा चीन से है अतएव हमारे लिए वियतनाम की मदद करना अनुचित है क्योंकि चीन भी वियतनाम की सहायता अमेरिका के विरुद्ध कर रहा है । चीन के प्रति हमारी नीति सदैव से ही एक समान रही है । इस तथ्य के बावजूद की हमारे ऊपर हमला किया गया था—उस समय हमारे बीच न बल्कि कोई सम्बन्ध ही थे, अपितु वैर भाव था—हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का लगातार समर्थन करते रहे हैं जिसका एकमात्र कारण यह था कि "यह एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का $\frac{1}{6}$ भाग है तथा किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय फैसले से उसको बाहर नहीं रखा जा सकता । चाहें हमें उनका मत स्वीकार्य है या नहीं, यह एक अलग बात है ।" इसलिए, हमारी नीति अवसरवादी नहीं थी, उसमें एक समानता थी ।

श्री समर मुखर्जी : मैंने आर्थिक प्रणाली के बारे में कहा था **(व्यवधान)**

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं आपको पूरे तथ्य बता रही हूँ । **(व्यवधान)** मैं उस बारे में भी कहूँगी । मैं पूरी स्थिति को इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि अचानक एक ही रात में, हमने पाया कि चीन एक महान मित्र बन गया है तथा हमें सोवियत संघ तथा वियतनाम से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी । मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए यह सब समझना जरा कठिन है ।

(व्यवधान)

मैं आर्थिक समस्या के बारे में भी उल्लेख करूंगी ।

श्री समर मुखर्जी : आप एक विषय से हटकर दूसरे विषय पर बोल रही हूँ । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे इस विषय में भी कहेंगी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पूरी विनम्रता से···**(व्यवधान)**

मुझे यह समझ नहीं आता कि माननीय विपक्षी सदस्य इतने संवेदनशील क्यों हैं । मैंने इनके दल के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा है । मैं तो विशेष स्थिति की पृष्ठ भूमि के बारे में बताने का प्रयास कर रही हूं ।

अब हम समाजवादी व्यवस्था के बारे में विचार करें। पाश्चात्य जगत तथा विपक्ष में बैठे जनसंघ के कुछ प्रिय मित्रों तथा अन्य लोगों ने अपनी चीन के प्रति तीव्र दुर्भावना को सुख-भ्रान्ति में यह कहते हुए कैसे बदल लिया कि चीन में सब कुछ ठीक ठाक है—बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई है, प्रत्येक को भरपेट भोजन मिल रहा है और हर चीज पूर्णतया उचित है। इसके कुछ देर बाद हमने पढ़ा कि शंघाई में और चीन के अन्य नगरों में बेरोजगारी को लेकर उपद्रव हुए हैं। जहाँ तक मुझे स्थिति की जानकारी है, वे अधिक औद्योगिक विकास नहीं कर पाये हैं। तत्पश्चात् हमें पता चला कि, चीन, जिसने कि अपना अत्यधिक औद्योगिक विकास कर लिया था। इस समय पश्चिम सहायता पर पूर्णतया निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, अब चीन तथा अमरीका सहयोगी हैं—मुझे नहीं पता कि क्या अमरीका एक समाजवादी देश है। क्या मान्य सदस्य हमें उसी स्थिति में वापस ले जाना चाहते हैं शायद हमने प्रगति धीमे रूप में की हैं, हम गरीबी को मिटाने में सफल नहीं हो सके हैं और न ही हम यह कहते हैं कि इसे शीघ्र ही समाप्त किया जा सकता हैं। हम सिर्फ यह कह रहे हैं··· **(व्यवधान)**

श्री समर मुखर्जी : वे यह बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि क्यों हम कुछ मामलों में चीन की सरकार को अच्छा मानते हैं। मैंने तो उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में कहा था। उन्होंने बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या को हल कर लिया है। **(व्यवधान)** प्रश्न यह है कि चीन ने इस शताब्दी का पहला आधुनिक देश बनने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसीलिए वे भारत सहित सभी देशों से तकनीकि सहायता ले रहा है। अतः इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मुख्यतया पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। यह उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ये चीनियों से भी अधिक चीन के समर्थक हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह हो सकता है कि माननीय सदस्य को मेरे से अधिक जानकारी हो परन्तु जहाँ तक मुझे स्थिति की जानकारी है, चीनवासी अधिक औद्योगिक विकास नहीं कर पाये हैं। चीन ने अनेक परमाणु बम तो बना लिये हैं परन्तु उनका औद्योगिक आधार मजबूत नहीं है और उन्होंने लघु के क्षेत्र और इस्पात के क्षेत्र में जो अनेक प्रयोग किए हैं वे इतने सफल नहीं हुए हैं जितने कि उन्होंने इस समय सोचे थे।

एक माननीय सदस्य : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। कोई पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसके अतिरिक्त, वे अन्य विपक्षी सदस्य, जो कि अब अफगानिस्तान में सोवियत सेना के बारे में अपनी तीव्र निन्दात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं—मैं इसके बारे में बाद में बोलूंगी अतः अभी प्रश्न न पूछें—उन्होंने उस समय, जब चीनी सेना ने वियतनाम में प्रवेश किया था, एक शब्द भी नहीं कहा था।

हमारे कार्यभार संभालने की छोटी सी अवधि के दौरान ही, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारे उपयोगी तथा रचनात्मक रवैया अपनाने की योग्यता तथा सहमति के बारे में विदेशी सरकारों के मन में परिवर्तन आया है।

हाल ही के महीनों में, बड़ी शक्तियों को मध्य परमाणु युद्ध की सम्भावनाओं के कारण, विश्व में युद्ध की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। शीत-युद्ध के वातावरण को उसकी समस्त बुराईयों के साथ पुनर्जीवित किया जा चुका है। यहाँ तक कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति भी भावनाओं के आवेश में आकर युद्ध की तैयारियों, सीमित परमाणु-युद्ध, जवाबी कार्यवाही इत्यादि की बातें व करते सुने गये हैं।

हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि इस शस्त्रों से सुसज्जित युग में, थोड़ी सी भी भूल समस्त मानव जाति का अभूतपूर्व विनाश कर सकती है। अतः कुछ भी कहने और करने में हमें सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने तरीके से संकटपूर्ण स्थिति का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि सिर्फ विश्व-शाँति के वातावरण में ही विश्व के वित्तीय तथा तकनीकि संसाधन मानवता के उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अतः हम चाहते हैं कि विश्व के समस्त विचारवान व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयासों से वास्तविक युद्ध की ओर आजकल के झुकाव को रोका जाना चाहिए।

अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियों पर और पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार देने के संयुक्त राज्य अमेरीका, चीन और अन्य देशों के निर्णयों पर माननीय सदस्यों का चिन्तित होना उचित ही है। अब मै चाहूंगी कि माननीय सदस्य शाँति रखें क्योंकि यहाँ मैं फिर स्थिति का ब्यौरा देना चाहूंगी। मैं सदन का ध्यान अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। इसकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति है। कुछ वर्ष पूर्व—जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे—राजतंत्र को हटाकर अफगानिस्तान को गणतन्त्र घोषित किया गया तथा राष्ट्रपति दाऊद ने सत्ता सम्भाली। अप्रैल 1978 में एक अन्य क्राँति द्वारा राष्ट्रपति तरक्की ने सत्ता संभाली पिछले वर्ष नवम्बर में, उन्हें श्री अमीन द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। पुनः पिछले दिसम्बर में राष्ट्रपति अमीन को अपदस्थ कर दिवा गया तथा अब राष्ट्रपति करमाल राष्ट्राध्यक्ष हैं।

अपने मुस्लिम लीग के माननीय मित्र से मैं कहूंगी कि मैं इसके लिए साक्ष्य नहीं दूंगी, परन्तु हमें यह बताया गया है कि खुद श्री अमीन के समय में सोवियत सेना की सहायता माँगी गई थी।

एक माननीय सदस्य : ऐसा किसने बताया ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : हमें सोवियत राजदूत ने यह बताया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच समस्यायें रहीं हैं। ये इस उप महाद्वीप में उपनिवेशवाद की देन हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वह उसका आँतरिक मामला है। पिछले 2 वर्षों में अफगानिस्तान गणतंत्र ने अनेक भीतरी और बाहरी समस्याओं का सामना किया है। उस देश के बाहर स्थित अड्डों से सशस्त्र हमले किये जाने के समाचार मिले हैं। हमें यह बताया गया है कि अफगानिस्तान की सरकार ने सोवियत संघ के साथ जो संधि कर रखी थी उसके उपबन्धों के अनुसार उसने अपने गणतन्त्र के सम्मुख आये खतरे का सामना करने के लिए रूस से सैनिक सहायता मांगी। क्या यह सैनिक सहायता की प्रार्थना ठीक थी या नहीं, क्या सोवियत संघ को सैनिक सहायता देनी चाहिये थी या नहीं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर विश्व के विचित्र देशों की विभिन्न राय हैं।

हर एक इस समस्या पर अफगानिस्तान के लोगों की दृष्टि में नहीं अपितु भू-राजनैतिक और सामरिक महत्व की बातों को ध्यान में रखते हुए देख रहा है। इससे कोई हल तो निकलेगा नहीं और ससस्यायें और जटिल होती जाएंगी। मैंने अपनी राय व्यक्त कर दी है और वह यह है कि हम संसार के किसी भी देश में विदेशी तत्वों की उपस्थिति अथवा हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते हैं।

तथापि, हमारा विश्वास किसी एक पक्ष की निंदा करने में नहीं है। इसके साथ ही हिंद महासागर तथा कुछ अन्य देशों में जिस प्रकार से हथियार जमा किये जाते रहे हैं और जिस प्रकार से अब पाकिस्तान को उनकी सप्लाई और भी अधिक तेजी से की जा रही है और उसे एक महत्व-पूर्ण अड्डा बनाया जा रहा है, वह हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है।

यहाँ तटस्थता की नीति के प्रति हमारी वचन बद्धता को दोहराने और प्रत्येक विषय पर बिना किसी बाहरी दबाव के राय कायम करने की स्वतन्त्रता पर बल देने की आवश्यकता है। हमारी विदेश नीति हमारी भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति, कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति हमारी वचन बद्धता, हमारे ऐतिहासिक अनुभव, विशेषकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हुए अनुभव और सबसे अधिक यह कि हमारे राष्ट्र हितों को ध्यान में रख कर निर्धारित की जायेगी।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमें जानबूझ कर इस या उस देश का पक्षधर बताया जा रहा है। हम किसी भी देश के पक्षधर नहीं हैं। हम केवल भारत के पक्षधर हैं और सदा बने रहेंगे। जब हम ऐसे विषयों पर कोई निर्णय लेते हैं तो राष्ट्रीय हितों और विश्व शांति को ध्यान में रख कर निर्णय लेते हैं।

हमारे सभी प्रयत्न इस ओर हैं कि अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं शीघ्रता से हट जाएं। इसमें कई छोटे बड़े राष्ट्र सम्बद्ध हैं। सशस्त्र गिरोहों को प्रशिक्षण देना, अड्डे बनाने की सुविधा प्रदान करना, सीमा पार सशस्त्र सेनाएं भेजना और ऐसी ही अन्य कई गतिविधियों से पड़ौसी देशों में विश्वास की भावना पैदा नहीं होती है। इससे सम्बन्धित लोगों की आपदाएं बढ़ती हैं और विभिन्न राष्ट्रों में तनाव की स्थिति पैदा होती है। अफगानिस्तान में हुई घटनाओं पर कुछ देशों की जिस प्रकार से प्रतिक्रिया हुई है उससे हमारा चिंतत होना स्वाभाविक है। खरबों डालर की सहायता माँगी गई है और संयुक्त राज्य अमरीका से पाकिस्तान को अरबों डालर की सैनिक सहायता देना मंजूर कर लिया है। अन्य देशों को भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अश्त्रागार बनाने में अपना योगदान दें। चीन गणराज्य ने भी पाकिस्तान को हथियार और अन्य आवश्यक सहायता देने का वचन दिया है।

पहले ही समुद्रतटीय देशों की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध हिन्द महासागर में नौसेना अड्डा बनाया जा रहा है। और अरब सागर में बहुत बड़ा जंगी बेड़ा लाया जा रहा है।यह सब औद्योगीकृत पश्चिमी देशों की खाड़ी के देशों से तेल का निर्बाध सप्लाई बनाये रखने के नाम पर किया जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और हमारे क्षेत्र में हिंद महासागर बड़ी शक्तियों का अखाडा बन गया है।

पुरानी संधियों को पुनः लागू किया जा रहा है और नयी संधियाँ की जा रही हैं। बाहरी देशों द्वारा पश्चिमी एशिया के लोगों की धार्मिक भावनाएं जगाई जा रही हैं। हम अपने अनुभव

हमने पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ और अन्य देशों की सरकारों को अपने विचारों से अवगत करा दिया है। हमने पाकिस्तानी नेताओं को शिमला समझौते की भावनाओं के अनुकूल मैत्री संबंधों और प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की अपनी हार्दिक इच्छा से भी अवगत करा दिया है। हमें आशा है कि पड़ौसी देश किसी एक या दूसरी बड़ी शक्ति के इस भौगोलिक-राजनीतिक खेल में नहीं फंसेंगे और मैत्री और सहयोग का जो हाथ हमने बढ़ाया है उसे स्वीकार करेंगे।

हम अपने राष्ट्रीय हितों और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पंचशील सिद्धान्तों के अनुरूप चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार करना चाहते हैं।

जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है, हम सोवियत संघ के साथ अपने मैत्री सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सहयोग को और अधिक बढ़ायेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि किसी एक देश के साथ हमारे सम्बन्ध किसी अन्य देश के साथ सम्बन्धों को बिगाड़ कर स्थापित नहीं किये जाएंगे। एक प्रभुसत्ता सम्पन्न और स्वतंत्र देश होने के नाते हम वही करते हैं जो हमारे लोगों के सर्वाधिक हित में तथा विश्व शांति और सहयोग के लिए जरूरी होता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस्लामिक बम की बात की है। परमाणु बम और अन्य बम महाविनाश के अस्त्र हैं। बम क्रिश्चियन, इस्लामिक, हिंदु या बौद्ध नहीं होते हैं, हमारे क्षेत्र में किसी विदेश द्वारा परमाणु बम बनाये जाने की प्रतिक्रिया दूसरे देशों पर होना जरूरी है जिससे बम उत्पादकों को उद्देश्यों के प्रति संदेह और भय की भावना बढ़ेगी। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की परमाणु अस्त्र बनाने की कोई इच्छा नहीं है किन्तु साथ ही शांतिपूर्ण और विकास कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। जनरल जियाउल हक ने हमें बताया है कि उनका देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि वह अपने आश्वासन का पालन करेंगे।

दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि किसी एक देश को दूसरे देश को सबक सिखाने का अधिकार है अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए शरणार्थियों को बहाना बनाने के स्थान पर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जानी चाहिए कि जो अपने देश में वापस आने के इच्छुक हों वे लौट सकें। शक्ति प्रदर्शन में शरणार्थियों को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए तथापि, ऊर्जा की अधिक कीमतों और औद्योगिक उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में शीतयुद्ध का यह एक नया तरीका है। इस समय वाँछनीय यह है कि पूंजी और प्रौद्योगिकी को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराके विश्व अर्थव्यवस्था और निरंतर बढ़ते विश्व बाजार और एक नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विस्तार किया जाए किन्तु चरम शीत युद्ध और उसके फल स्वरूप होने वाले युद्ध से ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। इससे विकास शील देशों को सर्वाधिक हानि होगी; उन पर दबाव डाला जायेगा; उन्हें प्रलोभन दिये जाएंगे तथा उनके ही अस्थायित्व

का वातावरण पैदा किया जाएगा, उन्हें सैनिक युद्धों में फंसाया जायेगा। ऐसी स्थिति में यह खतरा बना रहता है कि पिछड़े हुए देश और अतिवादी तत्व जोखिम भरे कदम उठा बैठें। असाधारण रूप से गम्भीर और नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते हुए हमें इन सभी मामलों को ध्यान में रखना होगा।

हम इस बात में विश्वास करते हैं कि विश्व शांति स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण के टकराव को तोड़ दिया जाए और आर्थिक विकास के लिए सभी राष्ट्रों का पूरा सहयोग लेने का पूरा प्रयत्न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने अल्प संख्यकों के बारे में बात की है। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहती। हम अल्पसंख्यकों को रोजगार दिलाने और उनकी अन्य समस्याओं के बारे में काफी चिंतित हैं। हम उनके आर्थिक विकास और उर्दू भाषा, जिसे मैं अल्पसंख्यकों की ही भाषा नहीं मानती हूँ, के विकास के प्रति भी समान रूप से सचेत हैं। प्रत्येक राज्य में लोग उर्दू बोलते हैं। आरम्भ में आकाशवाणी से प्रसारित हिंदी अथवा अनेक हिंदी विभाग द्वारा प्रयुक्त हिन्दी समझने में मुझे काफी कठिनाई होती थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्री साठे नोट करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कहा आरम्भ में अब हमने इसे सीख लिया है।

अल्प संख्यकों में केवल हमारे मुस्लिम भाई ही शामिल नहीं है हालाँकि उनकी संख्या सर्वाधिक है, अन्य अनेक अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं। हम उनकी समस्याओं से तथा उनकी सहायता करने, विशेषकर उनके विकास में सहायता करने की आवश्यकता से भी पूरी तरह अवगत हैं।

जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मेरे सहयोगी श्री शिवशंकर आंध्र प्रदेश ने उर्दू अकादमी के लिए किये गये कार्य के बारे में मुझे बताया था हमने यह कार्यक्रम आरम्भ किया था और आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न नगरों में इसे अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है।

मैं उन युवा सदस्यों विशेषकर श्री के. के. तिवारी, श्री माधवराव सिंधिया और जनरल स्पैरों, जिन्होंने सदन में अपना पहला भाषण दिया है, को बधाई देती हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विपक्ष के सदस्यों के बारे में आपकी क्या राय है ? विपक्ष के अनेक युवा सदस्यों ने भी भाषण दिए हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ। मैं अधिक सदस्यों को नहीं जानती हूँ किन्तु मुझे आशा है कि मैं उनसे जल्दी परिचित हो जाऊंगी। कुछ सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला। मुझे विश्वास हैं कि वे भी बाद में काफी योगदान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई दिशा-निर्देश नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है। हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकारी नीति की नवीन दिशाओं और सरकारी कार्रवाही का उल्लेख किया गया है; चाहे वह कानून पर अमल कराने का मामला हो या राष्ट्र निर्माण के लिए आयोजना का मामला हो या हमारी अर्थ-व्यवस्था के

प्रबन्ध का मामला हो अथवा कमजोर वर्गों के कल्याण का मामला हो। हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं और वे निश्चित ही राष्ट्रीय हित में हैं। मुझे आशा है कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे शासक दल के हों या विपक्ष के इस महान कार्य में और देश के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका सफलतापूर्वक सामना करने में सरकार को अपना पूरा समर्थन और सहयोग देंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन रखे गए हैं। कुछ पर मैंने अपनी टिप्पणी की है। किन्तु उन पर विस्तार से नहीं बोल पाई क्योंकि उस पर काफी समय लगेगा किन्तु आगामी महीनों में सरकार की नीति के अनुसरण में जो सामाजिक आर्थिक कदम उठाये जायेंगे उनसे इन संशोधनों के उत्तर मिल जायेंगे। अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इन संशोधनों पर जोर न दें और उन्हें वापस ले लें। महोदय, मैं उन सबका धन्यबाद करती हूँ जिन्होंने भाग लिया ··

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आसाम के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आसाम के बारे में मैं पहले बता चुकी हूं और कोई विशेष बात नहीं है। हम कुछ ग्रुपों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि वे राजनैतिक दलों के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करें ताकि वे संसद सत्र के समाप्त होने से पहले आ सकें।

शायद आप उस समय सदन में नहीं थे जब मैंने यह सूचना दी थी कि हम श्री समर मुखर्जी के इस सुझाव से सहमत हैं कि समस्या का कोई हल निकालने के लिए विपक्षी नेताओं और हमें आसाम के राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ मिल कर बातचीत करनी चाहिए। हम आसाम के लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं और उन्हें जो दुखः सहने पड़े हैं और वहां कुछ लोगों की क्रूर हत्याएं हुईं उसकी भी हमें जानकारी है किन्तु कुछ कहने पर स्थिति और भी गम्भीर हो सकती है। इसीलिए हम यह बेहतर समझते हैं कि इस नाजुक समस्या का कोई हल ढूंढे और लोगों को इस बात के लिए सहमत करें कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो उसका हल आंदोलन नहीं है। यदि आसाम के किसी भाग को किन्हीं वस्तुओं से वंचित करता है तो अन्य भाग भी उसे अन्य वस्तुओं से वंचित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि गैर-आसामी लोग भी प्रति क्रिया करने लगते हैं तो उससे कठिनाइयां और बढ़ जायेंगी। अतः इस समय हम सभी को चाहे हम कितना भी अधिक कष्ट महसूस क्यों न कर रहे हों और मैं आप लोगों की पीड़ा को भली भाँति समझती हूं आत्म नियंत्रण बरतना है और अपनी सारी शक्ति भी उन लोगों को समझाने में लगाना है जो गलत काम कर रहे हैं। और उन्हें यह आश्वासन दिलाना है कि जो समस्याएं उनके सामने हैं उन्हें हल किया जावेगा किन्तु यह एक पक्षीय हल नहीं हो सकता है। पूरी परिस्थिति पर विचार करना होगा।

मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय . धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन रखे गए हैं। मैं सभी संशोधन सभा में मत विभाजन के लिए एक साथ प्रस्तुत कर दूं या कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन विक्षेष पर अलग से मत विभाजन कराना चाहते हैं ?